(17)

ANNEXURE - P/XVI

समक्ष :- न्यायालय श्रीमान न्यायिकदण्डाधिकारी

रवि कुमार भिण्डे आ. रामा
उम्र 30 वर्ष, साकिन मड़ौदा सेक्टर,
क्वा. नं.के. 56/सी. भिलाई तह. व जि.
दुर्ग (म0प्र0)

--- शपथकर्ता

// शपथ - पत्र //

शपथकर्ता निम्नलिखित कथन शपथ पूर्वक प्रस्तुत करता है :-

(1) यह कि शपथकर्ता एक प्रकरण में माननीय न्यायालय के समक्ष शा. वि. देव पाटनी वगैरह प्रकरण में साक्षी है।

(2) यह कि शपथकर्ता को पुलिस अभिभावक श्री शर्मा द्वारा जानबूझकर परेशान किया जा रहा है तथा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जब भी न्यायालय में उपस्थित होता है श्री शर्मा द्वारा बिना वजह परेशान किया जाता है जबकि वास्तविकता है कि शपथकर्ता इस प्रकरण में मात्र अभियुक्त गण को नेपाल बतौर ड्रायवर घुमाने ले गया था एवं ले आया तथा न ही किसी प्रकार की कोई हथियार अभियुक्त गण लाये तथा न ही किसी प्रकार के अपराधिक कृत्य के लिये बातचीत किये जिसके संबंध में शपथकर्ता एक लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रहा है जिसकी समस्त बातें उसकी निजी जानकारी में सत्य है।

अतः यह शपथ पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।

शपथकर्ता

//सत्यापन //

मैं शपथकर्ता रवि कुमार भिण्डे आ. श्री रामा यह सत्यापित करता हूं कि, इस शपथ पत्र की कुल कंडिका 1. से 2. तक के कथन मेरे निजी ज्ञान से सही व सत्य है अतः इस शपथ पत्र को पढ़कर व समझकर दुर्ग में दिनांक :-8.3.95 6/3/95 को हस्ताक्षर किया.

शपथकर्ता

पहचानकर्ता:-

पता का नाम .... साकिन ....

.... हैं, जो कि

.... द्वारा .... हस्ताक्षर

.... है।

–6 MAR 1995

हस्ताक्षर ....

(नोटरी– .... गुप्ता)

NOTARY

N. P. GUPTA

प्रति (3) श्रीमान पुलिस अधीक्षक
जायंगज दफ्तर अधिकारी प्रधान श्रेणी दुर्ग (म.प्र.)

विषय :- फर्जी गवाही देने के नाम पर पुलिस द्वारा दल. ए.एस.पी. द्वारा बार बार परेशान किये जाने बाबत आवेदन पत्र

महोदय,

सादर निवेदन है कि मैं रवि कुमार
आत्मज श्री रामा निवासी [illegible]
[illegible] नगर जिला दुर्ग फर्जी गवाही देने के लिये बार बार पुलिस द्वारा परेशान किये जाने के कारण निम्नलिखित प्रार्थना आपसे करता
आशा करता हूं कि आप मेरी शिकायत पर अवश्य उचित कार्यवाही करेंगे। तथा मुझे बार बार होने वाली मानसिक प्रताड़ना से मुक्ति दिलाने की कृपा करेंगे।

(i) मुझे आपके न्यायालय में विचाराधीन [illegible] के एक मुकदमे में गवाह बनाया गया है
कि देवेन्द्र पाटनी विरुद्ध म.प्र. शासन के नाम [illegible] है
इस विचाराधीन मुकदमे में गवाही देने के संबंध में गवाही की [illegible] पर पुलिस ने दिया। उसी संबंध में 16/11/95 को
[illegible] में उपस्थित होने के लिये कहा गया। मैं नियत तिथी पर
न्यायालय में उपस्थित हुआ। वहां पर सरकारी वकील ने मुझे समझाया
कि जिस प्रकार की फर्जी गवाही की गई है। उसी प्रकार से
[illegible] अन्यथा सही बोलना है तो यहां से चले जाओ।
[illegible] खड़ा रहा तो कोर्ट के बाबू ने कहा कि गवाही [illegible]
[illegible] बढ़ गई है। अब तुम दिनांक 25/11/95 को न्यायालय में
आ जाना। फिर मैं न्यायालय से अपने घर चला गया।
मैं माननीय न्यायालय द्वारा नियत तिथी पर दिनांक 25/11/95
न्यायालय में उपस्थित होना चाहता था। कि इसके पूर्व लगभग
[illegible] दो दिन के आसपास पुलिस के लोग मेरे घर आये।
और मुझे अपने साथ ले गये। [illegible] के लोगों से पुलिस
कहने लगे कि [illegible] सिर्फ [illegible] कि

यह गवाही देने न आ सके। आप लोग हमारी बात
पूरी मत करना। अन्यथा तुम्हें भी फर्जी मामले
बन्द करवा देंगे। उस दिन मैंने कहा कि मैं
में नहीं आऊंगा तो मेरा वारंट निकल जायेगा। तो
कहा कि हम तुम्हारी बीमारी का प्रमाण पत्र बनाकर
न्यायालय में पेश कर देंगे। मैं पुलिस द्वारा अवरुद्ध
रखे जाने के कारण विगत तिथी ..।।15 को न्या
उपस्थित नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप माननीय
ने मेरा वारंट निकाल दिया। जिसकी जानकारी मुझे
फोन से हुई। मुझे अगली तिथी 10/02/15
रूप से उपस्थित होने का आदेश हुआ था।
(5) मैं दिनांक 10/02/15 को न्यायालय में उपस्थित
मुझे [illegible] के निजी मुचलके पर न्यायालय ने माफ
उसदिन माननीय तोमर साहब छुट्टी पर चले गये
मेरी गवाही नहीं हो पाई।
उस दिन सरकारी व
मुझसे धमकाया कि तुम न्यायालय में क्यों आये
मैंने कहा कि आपकी बात मानकर मैं नहीं आऊंगा।
वारंट निकल जायेगा। उन्होंने कहा कि अगली पेशी
आना। मैं वारंट निकलने नहीं दूंगा।
तत्पश्चात श्री सोनवानी
मुझे दिनांक 24/02/15 को न्यायालय में अनिवार्य
उपस्थित रहने आदेश दिया।
(6) मैं एक बार पुनः माननीय न्यायालय के आ
दिनांक 23/02/15 को न्यायालय में उपस्थित हुआ। व
उपस्थित सरकारी वकील ने मुझे 2 किनारे ले जा
कि जिस प्रकार से मुकदमें में तुम्हारा फर्जी बयान
ठीक उसी प्रकार अपना बयान देना। मैंने कहा कि
बोलूंगा। माननीय जज साहब के सामने सच सच
तो सरकारी वकील ने कहा कि हम बार बार तुम्हें अ
से बयान देने के लिये तैयार नहीं कर सकते। तब
हूं कि मेरी गवाही कैसे होती है।

कुछ देर न्यायालय मे खडा रहा तो बाबू ने कहा कि
बात नहीं है। अब तुम्हे न्यायालय मे नही आना है
जब फिर सम्मन आयेगा तो तुम आना।
न्यायालय से निकलते समय A.P.P ने कहा कि तुम मेरे
अनुसार ही चलो। नही तो मैं तुम्हे ऐसे ही परेशान
कर रखूंगा।

महोदय मैं इस मुकदमे के संबंध
मे आपसे साफ यही कहना चाहूंगा कि
बयान मेरी सही बयान नही है। यह बयान पुलिस ने
मन से लिखा है जो कि हर प्रकार से झूठा है और मैं
शपथ के साथ कहता हूं कि मेरे पूर्व बयान को
न मानने की कृपा करे। क्योकि वह पूरी तरह से झूठी
बनी है

महोदय जी यह सही है कि मैं नेपाल गया
था गाडी का ड्राइवर बनकर परन्तु यह सही नही है
कि वहां पर श्री ज्ञानप्रकाश मिश्रा एवं श्री चन्द्रकांत शाह ने
हथियार कारतूस खरीदा। वहां पर ये लोग कई तीर्थ स्थानो
पर गये थे तथा अपने परिचित के कई गणमान्य
व्यक्तियो से भी मिलने गये थे। जिनमे से कई लोग
नेपाल के सांसद व मंत्री थे। वापसी के समय इन्होने
कुछ खिलौने तथा बच्चो के कपडे खरीदे थे।

यदि श्री ज्ञानप्रकाश मिश्रा व
श्री चन्द्रकांत शाह चुराके छिपाकर खरीदे होते तो भी नेपाल
वापसी के समय पडने वाले चार पांच बार्डरो पर तलाशी के
दौरान हथियार पकडे जाते। परन्तु हर बार्डर पर गाडी की
तथा पूरे सामानो की तलाशी होने के बावजूद गाडी मे
तथा पूरे इनके पास कोई हथियार नही मिला था।
इसके अलावा इस यात्रा के दौरान कही भी शस्त्रो मे
हथियार नहि खरीदे थे। यात्रा के समय ये लोग
सिर्फ हंसी मजाक तथा पिकनिक मे आमोद प्रमोद के विषय
मे ही बातचीत करते रहे। मैंने किसी प्रकार की संदेहास्पद
आपत्तिजनक तथा किसी की भी हत्या के संबंध मे किसी

(84)

किसी भी प्रकार की बातचीत करते नहीं रहा ...

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है

मेरा यह सही बयान स्वीकार करके

बार की प्रताड़ना तथा धमकीयो से मुक्ती

कृपा करे।

... है कि मेरे घर पर

के कारण मेरे पिताजी जो कि दिल के म...

तथा हाईब्लड प्रे... रहे आ चुके है परेशा...

व्यवस्त जाते है इस प्रकार से उनकी जान

जा सकती है अतः मेरे घर बार बार ...

आये। आप मेरे इस अर्जी को सही ...

स्वीकारने की कृपा करे।

तथा मुझे बार परेशान होने ...

आशा है कि आप मेरी गलतीयो को क्षमा...

न्याय की अभिलाषा मे

आपका

Ravi Kumar

Ravi Kumar

Ex. P. No. 1704/... प्रतिलिपि ...

सत्यप्रतिलिपि

प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायालय
दुर्ग (म.प्र.)